

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 18 जनवरी, 2018

विषय :- बदायूँ में पीलीभीत-बरेली-भरतपुर मार्ग एस०एच०-33 के चैनेज किमी० 102.115 से 113.00 (चैनेज किमी० 102.115 से 114.20 तक) 04 लेन विद पेड्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 13.29 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2604 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या-08बी/यू.पी.
/06/35/2017/एफसी/91 दिनांक 30.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से
विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियां की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-1687/बदायूँ/23699/2017, दिनांक 26.12.2017 द्वारा कमियों का
निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव एक प्रति भारत सरकार को उपलब्ध कराते हुए शासन को
पृष्ठांकित की गयी है, जो इस प्रकार है :-

क्र०	आपत्ति	निराकरण
1.	Information at A-3 (xvii) is incomplete as the signature person making application on behalf of user agency has not been authenticated.	प्रस्ताव पर अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर करा दिये गये है।
2.	Geo referenced map uploaded with the proposal at C-(iv) of part I does not incorporate Geo coordinates of all key points defining the proposal forest land for diversion.	Geo Referenced Map के Key Point के Geo Co-Ordinate के साथ अपलोड कर दिया गया है।
3.	Land schedule provided with proposal and uploaded as additional document does not provide details of position of Row & protected forest and balance remaining width of protected forest.	संरक्षित वनभूमि की गणना में Row Detail, Protected Forest & Balance Remaining Width को दर्शा दिया गया है।
4.	Linear strip plan uploaded with the proposal is a hand drawn sketch without showing position of Fow and other relevant dimensions.	Linear strip plan में Row Detail दर्शा दिया गया है।

5.	Detail/documents regarding settlement of forest right under FRA 2006 have not been provided in part I online.	FRA Certificate 2006 ऑनलाइन पार्ट- I में प्रस्तुत कर दिया गया है।
6.	KML file of proposal compensatory afforestation (second patch uploaded Ulaye Kheda Van Khand-II) is not accessible.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित क्षेत्रों को परिवर्तित करते हुए नया क्षेत्र सिकन्दराबाद वनखण्ड 26.58 हे० तीन पैचों में प्रस्तावित कर KML फाइल अपलोड कर दिया गया है।
7.	Proposal compensatory afforestation patches fall in the flood plains of Ganga River which may get flooded during rainy season. The site suitability may be rechecked.	पूर्व प्रेषित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के बाद प्रभावित सम्भावित क्षेत्र को दृष्टिगत करते हुए नया क्षेत्र सिकन्दराबाद को प्रस्तावित किया गया है जो कि बाढ़ प्रभावित सम्भावित क्षेत्र नहीं है।
8.	FRA certificate (uploaded) is without date and dispatch details. FRA certificate language needs revision to incorporate issues of right of other traditional forest dwellers.	FRA Certificate date & dispatch No. 2006 के साथ अपलोड कर दिया गया है।
9.	NPV calculation of the proposed forest land for diversion is based on wrong rates.	भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय के पत्रांक पी-503/17-16 दिनांक 05.02.2009 के अनुपालन में 0.40 घनत्व वाले डेन्स फोरेस्ट क्लास-III की दर 8.03 लाख प्रति हे० लगाई गई है जो कि इस क्षेत्र के लिए प्रचलन में है।
10.	Copy of part V needs to be uploaded with online part IV.	अपलोड कर दिया गया है।
11.	Various undertakings/certificates have not been uploaded online with the proposal.	समस्त प्रमण-पत्र प्रस्ताव के साथ आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
12.	Clarification is needs whether proposal is stand alone proposal or is part of other proposals.	उक्त प्रस्ताव किसी भी अन्य प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है।
13.	Concerned DFO shall clarify status of proposed forest land for diversion with respect to violation of FCA 1980.	प्रश्नगत प्रस्तावित भूमि हस्तान्तरण क्षेत्र 13.29 हे० है। भारत सरकार का बजट नोटिफिकेशन सं०-3208/एक्स आई वी दिनांक 13.08.1955 पर बिन्दु सं०-4 पर संरक्षित वनक्षेत्र घोषित है। याचक विभाग द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 28.12.2017 की संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-77(1)/14-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।